संख्या-18/2018/192 /52-4-2018-2(आ0/बजट)/2018

प्रेषक,

दीनानाथ,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 18 अप्रैल, 2018

विषय -वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग के लिए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त (50प्रतिशत) की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-698/अ0स0आ0/18-61वि0/17, दिनांक 04.03.2018 के संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में दी गयी व्यवस्थानुसार उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग के अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 1,37,70,000/- रूपये एक करोड़ सैंतिस लाख सत्तर हजार मात्र) का 50 प्रतिशत (प्रथम किश्त) निम्नलिखित विवरण के अनुसार एवं अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0	मद का नाम	स्वीकृति धनराशि (रूपये में)
1-	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	11,00,000/-
2-	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	57,85,000/-
	कुल	68,85,000/- (कुल रू0 अरसठ लाख पच्चासी हजार मात्र)

2- धनराशियों का प्रवेशंन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नही देता है । अत: व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

3- उक्त धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में ऐसी धनराशि का उपयोग "नई मदों/सेवाओं" पर व्यय के लिए न किया जाय ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

5- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय की मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेषरूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैन्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

6- धनराशि का यथासमय एक माह की आवश्यकतानुसार आहरण कर व्यय/उपभोग किया जाय तथा व्यय/उपभोग का विवरण बी0एम0-13 प्रपत्र पर प्रतिमाह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

7- उपरोक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-48 के लेखार्शीषक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-105-विशेष जॉच आयोग-04-अल्पसंख्यक आयोग को अनुपदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" मद के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-321/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

भवदीय,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

संख्या- 192(1)/52-4-2018-2(आ0/बजट))/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
5- वित्त (वित्त व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 ।
6- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-11 ।
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in